न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 63 सन 2019
अनवान :-

1. भंवर खां पुत्र उम्मेदखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राबू बानो पत्नी उम्मेद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. अनवर खां 3 सलमा 4 प्रवीण 5 समीम पुत्रीया उम्मेद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
6. इनायत बानों पत्नि मुश्ताक खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
7. सलीम पुत्र मुश्ताक खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
8. भंवरी 9 सीमा पुत्रीया स्व मुश्ताक खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
10. बेगम बानों पत्नि फेजु खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
11. रहमत बानों पत्नी खान मोहम्मद जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
12. इस्पाक खां 13 फिरोज खान पि. खान मोहम्मद जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
14. खातून बानों पत्नि माडू खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
15. शाहरुख खां 17 अजीज खां 18 असलम खां पि0 माडू खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
19. श्योकत खां 20 मुन्शीखा पि0 फेजु खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
21. नजमा बानो 22 हसन बानों 23 सलमा बानों पुत्रीया फेजु खा जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
24. सबीर खां 25 अब्दुल हमीद पि0 कादर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
26. जैतुन 27 मदीना 28 खातुन 29 रहीशा 30 मोबिनों बानो पुत्रीया कादर खा जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
31. शकीना बानों पत्नी रहीमखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
32. लीलुखां 33 मुश्ताखां 34 यासीन खां 35 नानू खां 36 बली मोहम्मद पि0 रहीमखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर
37. ताज बानों 38 खातून बानों 39 सलामन बानों 40 सीमाबानों 41 उल्फत बानों पुत्रीयान रहीम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील नोहर।

42 फिरोज 43 दिलावर खां पि0 रसुल खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर

44 आसमीन 45 रोशनी 46 रहीशा 47 अनी बानों पुत्रीयान रसूल खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर

48 रुबीनो बानों पत्नि निसार जाति कायमखानी मुसलमान निवासी दीपलाना तहसील नोहर

49 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 20/2/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 103 के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा, व साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा, कुल 54.01 बीधा भूमि स्थित थी जो गुलाब खा के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2014 से साबित है।

साबिका खसरा न0 115 व 116 की कृषि भूमि के गत पैमाईश मे भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा न0 115 से 116 से हाल खसरा न0 86 में परिर्वतन किया गया था।

गुलाब खा के चार लडके कादरखा, फैजुखा रसूल खा, रहीमखा हुए जिनमें से कादर खा, फैजु खा, रसूल खां रहीम खां चारों ही फोत हो चुके है उनके वारिसान के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है व उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सोतीबडी के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा व साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा भूमि हाल खसरा न0 86 की 59.03 बीधा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि कादर खां पुत्र गुलाबखां के कब्जा काश्त में भूमि थी एव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे परन्तु कानुन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वाद भूमि गैर खातेदारी दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है प्रतिवादी सख्या 49 उक्त किस्म की भूमि तब्दील करने पर आमादा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर वाद भूमि वादी निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा सोतीबडी के खाता संख्या 147/142 के खसरा न0 86 की 14.9610हैक भूमि जमाबन्दी में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 49 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद का स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 49 की ओर से परोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या उ103 व नकल खसरा गिरदावरीयों की

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

तहसील नोहर।

प्रविष्टयों की सीमा तक स्वीकार है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही रूप से दर्ज है वर्तमान में ग्राम सोतीबडी वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो चुका है वादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 103 के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा , व साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा , कुल 54.01 बीधा भूमि स्थित थी जो गुलाब खा के कब्जा काश्त में थी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2014 से साबित है।

साबिका खसरा न0 115 व 116 की कृषि भूमि के गत पैमाईश में भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा न0 115 से 116 से हाल खसरा न0 86 में परिर्वतन किया गया था।

गुलाब खा के चार लडके कादरखा , फैजुखां रसूल खा , रहीमखां हुए जिनमे से कादर खा , फैजु खा , रसूल खां रहीम खां चारों ही फोत हो चुके है उनके वारिसान के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है व उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सोतीबडी के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा व साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा भूमि हाल खसरा न0 86 की 59.03 बीधा भूमि में पैमुद हो चुकी है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि कादर खां पुत्र गुलाबखां के कब्जा काश्त में भूमि थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसी समय से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे परन्तु कानुन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के प्रावधानो के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या उ103 व नकल खसरा गिरदावरीयों की प्रविष्टयों की सीमा तक स्वीकार है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही रूप से दर्ज है वर्तमान में ग्राम सोतीबडी वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो चुका है वादी वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोतीबडी के हाल खसरा न0 86 की 59.03बीधा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 48 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

रोही मोजा सोतीबडी के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा एव साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा कुल 54.01 बीधा भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के पूर्वज गुलाबखां के कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के नाम से दर्ज है। अर्थात गुलाबखा के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार गुलाबखां कायमखानी के चार लडके कादरखां फैजुखा , रसूलखा , रहीम खां हुए गुलाबखा के चारों पुत्रों का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश सम्वत 2029 से 2038 के दौरान रोही मौजा सोतीबडी के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा एवं साबिका खसरा न0 192/116/5 की

तहसील नोहर।

42.16 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 86 की 59.03 बीधा भूमि में पैमुद किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है जिसके सम्बध मे पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार प्रकार वाद भूमि रोही मौजा सोतीबडी के साबिका खसरा न0 185/115/7 की 11.10 बीधा एवं साबिका खसरा न0 192/116/5 की 42.16 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 86 की 59.03 बीधा भूमि सम्वत 2012 में गुलाब खां के नाम से दर्ज थी एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही हे जिनके देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 के नाम से दर्ज है एवं उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था की धारा 15 मे प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि काश्त करता था वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है अर्थात सम्वत 2012 की जमाबन्दी/गिरदावरीयों में जो भूमि जिसके कब्जा काश्त मे थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था। अर्थात उक्त अधिनियम के तावें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे।

पेराकार राज का कथन है कि वाद भूमि उपनिवेशन अधिनियम में आने के कारण किमतन खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते हे राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु पेरोकार राज का कथन से सहमत है एवं वादी भी वाद भूमि की किमत अदा करने को तेयार है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इसे परियोजना क्षेत्र मे भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनाक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एव बाद मे खातेदारी अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 147/142 की 14.9610हैक भूमि मे सबीरखा , अब्दुलरहीम , पि0 कादरखा बहिब 1/18 हिस्सा , जैतुन , मदीना ,खातुन रहीसा , मोबिना बानों पुत्रियान कादरखां बहिब 5/36 हिस्सा राबुबानों पत्नि उम्मेदखां भवरखां अनवारखां पि0 उम्मेदखा सलमा , प्रवीण, समीम , पुत्रियान उम्मेदखां बहिब 1/36 हिस्सा इनायत बानो पत्नि मुश्ताकखा सलीमखा मुश्ताकखां भवरी, सीमा पुत्रियान स्व मुश्ताकखा बहिब 1/36 हिस्सा , शकीना बानो पत्नि रहीमखा , लीलूखा, मुश्ताकखां , यासीन खां नानूखा बली मोहम्मद पि0 रहीमखां ताज बानो सलामन बानो सीमा बानो उल्फत बानो पुत्रीया रहीखां 1/4 हिस्सा , बेगम बानों पत्नि फेजूखा 1/32 हि0 रहमत बानों पत्नि खान मोहम्मद इस्पाक खान फिरोज खान पि0 खान मोहम्मद रूकसाना बानों पुत्री खान मोहम्मद 1/32 हिस्सा खातून बानो पत्नि माडुखां शाहरूख खां अजीजखां असलमखां पि0 माडु खां 1/32 हिस्सा , श्योकत खां मुन्शी खां पि0 फेजु खां नजमा बानों इसना बानों सलमा बानों पुत्रिया फेजुखा 5/32 हिस्सा , फिरोज दिलावर खा पि0 रसूल खां आसमिन रोशनी रहीशा , मनी बानों पुत्रीया रसूल खां 3/14 हिस्सा रुबीना पत्नि निसार खां 1/28 हिस्सा जाति कायमखानी साकिन सोतीबडी के द्वारा वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षैत्र की आरक्षित दर 4000/- प्रतिबीधा का 20 प्रतिषत 800/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/2/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील नोहर।